संख्या-386 / 2017 / 1747 / 22-2-2016-17(113) / 2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम दयाल पुत्र श्री लालता, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-34885 / प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-05.09.2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम दयाल पुत्र श्री लालता, निवासी ग्राम लोधेजोत, थाना पयागपुर वर्तमान विशेश्वरगंज, जनपद-बहराइच का रहने वाला है। बन्दी द्वारा खेत में लगी अरहर की फसल को नष्ट किये जाने के विवाद को लेकर दिनांक 14.09.1978 को बन्दी ने अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-282 / 1978 में भा0द0वि0 की धारा-302 / 34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच के आदेश दिनांक 11.07.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.08.1995 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.05.2016 तक 21 वर्ष 02 माह 08 दिन की अपरिहार एवं 28 वर्ष 02 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बहराइच द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम दयाल (बन्दी संख्या-38208) पुत्र श्री लालता, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-386 / 2017 / 1747 / (1) / 22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in